

प्रेषक,

एन.एच. रिजवी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: ७ नवम्बर, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस०सी०एस०पी०) में प्राविधानि धनराशि की अवशेष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-827/खा०ग्रा०बो०/प्रशिक्षण एस०सी०एस०पी०/2012-13 दिनांक 25.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी 1 ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू० 75.00 लाख (रू० पचहत्तर लाख मात्र) में से अवशेष धनरा रू० 51.00 लाख (रू० इक्यावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फाट के अनुसार आपके निवर्तन रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन निर्गत की जा रही है कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने पर ही शेष धनराशि आहरित की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग करने पर विभागाध्याक्ष उत्तरदायी होंगे।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-12-231/12 दिनांक 09.07.2012 एवं शासकीय व्यय मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपाल सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुद संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों लिये विशेष घटक योजना-07-कौशल सुधार प्रशिक्षण-27-सब्सिडी" के नामों डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1283/दस-2012, दिनांक 02.11.2012 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव।

संख्या-५५५ (1)/२६-ब०प्र०-२०१२-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु०-4
- 6- औद्योगिक विकास अनुभाग-3/गार्डफाइल

आज्ञा से,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव ।

शासनादेश संख्या 444/26- ब0प्र0-2012, दिनांक 07-11-12 2012 का संलग्नक
 वर्ष 2012-13 में आठ माह के लिए कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0)
 अनुदान सं0-83 हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय स्वीकृति

| क्रमांक | केन्द्र का नाम | धनराशि (लाख रुपये में) | प्रशिक्षार्थियों की संख्या |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ | 5.00 | 125 |
| 2 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर | 4.00 | 100 |
| 3 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच | 3.00 | 75 |
| 4 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अनुआं, इलाहाबाद | 4.00 | 100 |
| 5 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़ | 3.00 | 75 |
| 6 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ | 3.00 | 75 |
| 7 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, काल्पी, जालौन | 8.00 | 200 |
| 8 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहाँपुर | 4.00 | 100 |
| 9 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा | 5.50 | 125 |
| 10 | मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर | 11.50 | 275 |
| | योग | 51.00 | 1250 |

(रुपये इक्यावन लाख मात्र)

Riya
 (संन०सच०सिजी०)
 उप सचिव ।
 ५